न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 43/2009
किस्म प्रार्थना पत्र 151 सीआरपीसी
निर्णय दिनांक 11.03.2020

भजनलाल बनाम घनश्याम वगैरा

(प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी बाबत् स्थगित किये जाने कार्यवाही)

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी के तहत इस आशय का पेश किया कि :–

उक्त वाद का राजीनामा के आधार पर दिनांक 30.08.2011 को निस्तारित किया गयापरंतु उक्त वाद में विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2154 रकबा 0.54 एयर वाके कस्बा नदबई द्वितीय का कोई कुर्रा पृथक रूप से वादी एवं प्रतिवादी के मध्य कायम नहीं हुआ परंतु प्रतवादी श्यामवती वगेरा के विरूद्ध एक दीवानी वाद न्यायालय श्रीमान जिला न्यायाधीश भरतपुर के समक्ष उनवानी भजनलाल बनाम जुगलकिशोर वगैरा न. दीवानी सं. 20/13 भजनलाल द्वारा प्रस्तुत किया गया। उक्त उनवानी वाद वास्ते सुनवायी न्यायालय अप जिला न्यायाधीश सं. 1 भरतपुर को अंतरित किया गया। उक्त वाद में बाद सुनवाई प्राथना पत्र स्थगन पर दिनांक 19.010.13 को यह आदेश पारित किया गया कि प्रतिवादीगण विवादित जायदाद को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं करें। उक्त प्रकरण में श्यामवती भी पक्षकार मुकदमा है। यदि न्ययालय श्रीमानजी द्वारा उक्त वाद में विवादित आराजी के पृथक कुर्रा कायम किये जाते हैं तब पृथक –पृथक कुर्रा के वीन नम्बर कायम होने से विवादित आराजी की स्थिति परिवर्तित हो जावेगी जिससे प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात को आसानी से रहनबय मुंतकिल किये जाने को स्वतंत्र हो जावेगा तथा प्रार्थी को न्याय प्राप्त नही हो सकेगा। ऐसी स्थिति में जब तक न्ययालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश सं. 1 भरतपुर में विचाराधीन वाद का निस्तारण न हो तब तक उक्त वाद में पारित डिक्री के अनुरूप पृथक–पृथक रूप से कुर्रा कायम कराने की प्रक्रिया को स्थगित रखा जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर न्यायहित में कार्यवाही प्रकरण की अग्रिम कार्यवाही को स्थगित किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे।

अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी का जबाब इस आशय का पेश किया कि :–

यह कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी में वाद पत्र राजीनामा के आधार पर दिनांक 30.08.11 को निरस्त कर दिया परंतु उक्त आदेश की अपील न्यायालय श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर के यहां होने पर उक्त पत्रावली पुनः निर्णय हेतु न्यायालय श्रीमान में प्राप्त हुयी है। उस पर न्यायालय श्रीमान के दोनों पक्षकारान के समक्ष कार्यवाही प्रारम्भ की तथा उक्त पत्रावली में दोनों पक्षकारान की उपस्थिति में पीडी जारी की गयी तथा कुरे के लिये तहसीलदार नदबई के लिये आदेश जारी किये

Scanned by CamScanner

स्थिति में उक्त मुकदमे का निस्तारण हो चुका है। केवल तहसीलदार नदबई के यहां से कुरे ने बाकी हैं। इसलिये उक्त पत्रावली को अंतर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी के तहत इसी स्टेज पर स्थगित करने की पूर्व में ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर था जो उसने नहीं की है। इसलिये अब प्रार्थना पत्र प्रार्थी काबिल खारिजी के है।

अतः जबाब प्रार्थना है कि मिन जानिव प्रतिवादी अप्रार्थीया स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी तारीख 26.11.15 अंतर्गत धारा जाब्ता दीवानी खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्षकारान के विद्वान वकीलों की बहस सुनी गयी प्रार्थी द्वारा अपनी बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी सुनी गयी एवं अप्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस में जबाव के तथ्यों को दोहराया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

उक्त विवादित आराजी बाबत् न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 भरतपुर के में इकरारनामे के आधार पर स्पेशल रेफरेन्स का प्रकरण विचाराधीन है। जो साक्ष्य प्रतिवादी के स्तर पर लंबित है। न्यायालय श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश संख्या 01 भरतपुर के निर्णय के पश्चात विवादित आराजी का विभाजन किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीआरपीसी के तहत स्वीकार किया जाकर उक्त मुकदमा भजनलाल बनाम घनश्याम की सुनवाई स्थगित की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(विनोद कुमार मीना R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner